

मास्क लगाकर व सेनेटाइजर का उपयोग कर सुरक्षित रहें निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर्मचारियों को दिये निर्देश

रत्नाम 16 अप्रैल । शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः 8:00 बजे निगम के फायर स्टेशन भवन समस्त उपस्थित कर्मचारियों को मास्क लगाने सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सेनीटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए वहीं वार्ड दरोगा एवं वार्ड के जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं उनको भी उक्त निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए साथ ही उन्होंने सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी ।

उन्होंने कहा कि है कर्मशाला विभाग के ड्रायवर, हैल्परों को सैनिटाइजर मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क कर्मशाला विभाग दिये जायेंगे, आज जितनी संख्या में मास्क व सेनेटाइजर है वे प्राप्त कर लें शेष को कल उपलब्ध कराये जायेंगे । आपको नियमित गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है साथ ही अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि किसी भी आपदा की परिस्थिति में निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । कर्मचारी इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें व अपने साथ अपने परिवार और समाज के जीवन को बचायें ।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, उद्यान निरीक्षक श्री अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर आदि उपस्थित थे ।

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

रत्नाम 16 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, अनुशासनहीनता करने पर सेवा से बर्खास्त किया ।

गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रत्नाम 16 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा कर रहे हैं उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है ।

खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घास बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबू पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

5 के स्थान पर अब 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होगे विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

रत्नाम 16 अप्रैल। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रत्नाम 16 अप्रैल। रत्नाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 16 अप्रैल शुक्रवार को फायर लॉरी से गायत्री टॉकिज रोड, शहीद चौक, लोकेन्द्र टॉकिज रोड सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर टीआईटी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 16 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाढ़ व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्ड में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 16 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाढ़ व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके हैं नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथकीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्ड में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 मार्झक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रत्नाम 16 अप्रैल। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित हैं वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है। टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 778 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 16 अप्रैल। रत्नाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 16 अप्रैल तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 778 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 12, 14 व 16 अप्रैल को अलकापुरी, दीनदयाल नगर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर

निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 16 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 16 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 16 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के

विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 16 अप्रैल। रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रत्नाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रत्नाम 16 अप्रैल। नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, धांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्ममीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है।

नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/16.04.2021/न.पा.निगम, रतलाम.